तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जहांगीर बनाम इशब वगै. धारा-212 रा.का.अधि.	

पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राज. काश्तकारी अधिनियम पर दिनांक 13.11.2018 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण ईशब वगै. को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था कि वे दिनांक 14.12.2018 तक आ.ख.न. 155/0.91, 172/0.66, 28/0.77 वाके ग्राम नीमकी, तह. नगर पर रहन बय मुन्तकिल नहीं करे, सायल को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल नहीं करें, मजाहमत मदाख्लत नहीं करें, जोतने बोने से नहीं रोकें, मौका व राजस्व रिकार्ड को यथास्थिति बनाये रखें।

इसके पश्चात आगामी तारीख पेशियों तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रवृत रही।

प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी सं.-1 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावलि किया गया। अप्रार्थी सं.-2 कोई जवाब प्रस्तुत करना नहीं चाहते है।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने कहा कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है जिसमें मैंने हिस्से का दावा किया है, दावा निर्णित होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा को संपुष्ट किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कहा कि दावे व प्रार्थना पत्र में पक्षकार समान नहीं बनाये गये है, वादी, प्रतिवादी मेव यानी मुस्लिम समुदाय से है जिनमें हिन्दु उत्तराधिकार अधि. की भांति पैतृक आराजी में दावा लाने का अधिकार नहीं है। स्वयं की कब्जे काश्त खातेदारी आराजी होने से अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने का कथन किया। नजीरें RRT 2018(2) P 1275, RRD 19[illegible] P. 345, RBJ (20) 2013 P 96 प्रस्तुत [illegible]

पत्रावलि का समग्र [illegible] का भी [illegible] किया। इसके उपरान्त हम [illegible] पर पहुंचते है कि:-

प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि आराजी पैतृक आराजी किस प्रकार से है तथा उसका कितना हिस्सा आराजी में होना चाहिए, आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:11:38 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलमद हुक्म में
	के पैतृक होने संबंधी किसी प्रकार की कोई साक्ष्य-दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे प्रथम दृष्टया वाद होना स्पष्ट नहीं होता है। - वर्तमान राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सं०- 2072-75 में अप्रार्थी सं.-1 एक खातेदार के रूप में दर्ज है एवं प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं करते है कि विवादित आराजी किस प्रकार से पैतृक आराजी है तथा इस आराजी में उसका संभावित हित (हिस्सा) कितना होना चाहिए, एवं रिकोर्ड खातेदार के पक्ष में सुविधा का संतुलन प्रमाणित होता है। - स्वयं प्रार्थी को अपने हितों की स्पष्ट जानकारी न होने तथा एक संभावित परिकल्पना के आधार पर ही उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है, स्वीकार्य नहीं होता है। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 13.11.2018 को जारी किये गये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को जारी रखा जाना न्यायालय न्यायोचित नहीं समझता है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212, राज. काश्तकारी अधिनियम को अस्वीकार करते हुए पूर्व दिनांक 13.11.2018 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10.3.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 10.3.24 (सुरेन्द्र प्रसाद)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:11:38 IST
Reason: SelfAttested